



दिल्ली मास्टर प्लान 2041 हेतु वृहद, समावेशी व सार्थक जन सहभागिता सुनिश्चित करने पर स्टेटमेंट

मैं भी दिल्ली अभियान सभी को इस बात से अवगत करवाना चाहता है कि 9 जून 2021 को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मास्टर 2041 का मसौदा पेश कर दिया गया है। इस मसौदे के अंतर्गत मुख्य दस्तावेज़ व भूमि उपयोग योजना अगले 45 दिनों के लिए जनता के लिए उपलब्ध करवाया गया है और इस दौरान सभी नागरिक अपने सुझाव व आपत्ति साझा कर सकते हैं। यह योजना प्रक्रिया व उसके हमारे शहर के विकास पर दीर्घकालीन के प्रति महत्वपूर्ण कदम है और दिल्ली के लोगों के लिए शहर के सामूहिक भविष्य की कल्पना के लिए एक ज़रूरी मौका है।

हालाँकि जिस समय पर यह मसौदा पेश किया गया है और जिस तरह के अनुबंध का तरीका तय किया गया है उसको लेकर अभियान की कुछ चिन्ताएँ हैं। हाल ही में आए कोविड-19 की लहर ने दिल्ली की व्यवस्थाओं को पूरी तरह चरमरा दिया। महामारी के साथ साथ, लोग बेरोज़गारी, बेघर, भोजन की कमी, शिक्षा व आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में, मास्टर प्लान को लेकर चल रही प्रक्रिया को उन महत्वपूर्ण लोगों की राय जानने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा जिसकी राय व आवाज़ की सबसे अधिक आवश्यकता है। साथ ही, मास्टर प्लान के मसौदे की उपलब्धता और प्रतिक्रिया जमा करने का तरीका पूर्णतह ऑनलाइन होने के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग इससे अछूता रह जाएगा।

DDA क़ानून 1957 तथा URDPFI के दिशानिर्देशों के अनुसार मास्टर प्लान की प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता आज्ञापित है। साथ ही संविधान के 74वें संशोधन के माध्यम से यह आवश्यक है कि लोगों की चिन्ताओं व शंकाओं को पर पूर्ण रूप से सुनवाई हो पाए। एक ऐसे सामूहिक अभियान के रूप से जो पिछले दो वर्षों से DDA के साथ मसौदा बनाने एवं सहभागिता को लेकर काम कर रहे हैं, हम प्राधिकरण को निम्नलिखित मुद्दों पर अतिशीघ्र काम करने की अपील करते हैं:

- मास्टर प्लान के मसौदे पर लोगों के सुझाव देने की सीमा 6 महीने कर दी जाए।
- अग्रसक्रिय कदम उठाते हुए मास्टर प्लान को लेकर जन जागरूकता के लिए हिंदी व अंग्रेज़ी में अखबारों, रेडीओ, न्यूज़ चैनल, तथा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास किया जाए। DDA दिल्ली सरकार के सहयोग से सभी दस्तावेज़ का पंजाबी व उर्दू में भी अनुवाद करवाए क्योंकि यह दोनों भी दिल्ली अन्य कार्यालयीन भाषायें हैं।
- DDA द्वारा मास्टर प्लान के मुख्य प्रावधान तथा 2021 के प्लान से किए गये मुख्य बदलावों के ऊपर शैक्षणिक विडियो व इंफ़ोग्राफ़िक बनाए जाए ताकि लोगों को सरल तरीके से समझ आए व वह इसमें हस्तक्षेप कर सकें।
- असहाय व वंचित वर्गों जैसे असंगठित व प्रवासी मज़दूर, बेघर व बस्तियों में रहने वाले लोग, निशक्त जन, महिलाएँ, ट्रांसजेंडर समुदाय, बच्चे, युवा व वृद्ध आदि के लिए विशेष कदम उठाए जाए। इन विशेष मुद्दों के बेहतर समझ व चिन्ताओं को समझने के लिए सामाजिक संस्थाओं का शयोग लिया जाए जो कि प्रक्रिया में सभी की सहभागिता सुनिश्चित कर सके।

- ऑनलाइन के साथ साथ सभी ज़ोन कार्यालयों में भी मास्टर प्लान की प्रति रखवाई जाए।
- DDA अधिकारियों द्वारा कोविड के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ज़मीनी स्तर पर कॉन्सल्टेशन आयोजित किए जाएँ ताकि लोगों किसी तरह की तकनीकी व भाषायी दिक्कतें ना आए। दिल्ली के सभी ज़ोनल कार्यालय वॉक-इन केंद्र के रूप में विकसित किए जाए जहाँ नए मसौदे पर सभी जानकारी हो व लोग अपनी समझ बना सकें। इन केंद्रों पर लोगों के सुझाव व आपत्ति दायर करने की भी सुविधा हो। लोग चिट्ठियों, ईमेल व ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी यह भेज सके यह सुनिश्चित किया जाए।
- अंततः, इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना अति आवश्यक है। इसके लिए ज़रूरी है कि DDA लोगों को उनके सुझाव, आपत्ति, नई जानकारी व विकास के बारे में लगातार सार्वजनिक तौर पर बताती रहे।

हम अधिकारियों से यह अनुरोध करते हैं कि इन सुझावों पर अतिशीघ्र ध्यान देते हुए इन पर जल्द से जल्द कार्य करे ताकि जन परामर्श की प्रक्रिया समावेशी व सार्थक हो सके। मैं भी दिल्ली अभियान सदैव ही दिल्ली में योजना की प्रक्रिया को सही मायने में पारदर्शी, सहभागी व आसान बनाने हेतु अपना प्रयास करती रहेगी। इसकी शुरुआत योजना के महत्वपूर्ण प्रावधानों की गहराई से समीक्षा व समझ, तथा 40 से भी अधिक सामाजिक संस्थानों के समूह के माध्यम से जन-जन तक मास्टर प्लान को लेकर पहुँचने से करने का प्रयास है।

मालविका, 8377974331

शलाका, 9811926369

राशी, 8618735908

हर्शल, 9727064061



मैं भी दिल्ली अभियान का उद्देश्य दिल्ली में शहरी नियोजन को अधिक सामाजिक, समावेशी और सहभागी बनाना है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ <https://www.mainbhidilli.com/>

ईमेल: mainbhidillicampaign@gmail.com ट्विटर: @mbd2041

इंस्टाग्राम: @mainbhidilli_campaign